ऑन लाईन नं. GCMS 2024/2

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजकुमार पुत्र श्री रामआसरे –विक्रेता व मालिक–
मै0 राजू चिकन सेन्टर, शॉप नं. 42, उद्योग मार्केट, नई धान मंडी, श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 23.02.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.08.2023 को शाम समय 06.30 पी.एम. को **मै. राजू चिकन सेन्टर, उद्योग मार्केट, नई धानमंडी, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता श्री राजकुमार पुत्र श्री रामआसरे (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान विक्रेता के पास रखे हुए खाद्य पदार्थ **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** 08 **किलोग्राम** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में 8 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री राजकुमार पुत्र श्री रामआसरे एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** 2 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** का नगद भुगतान 300/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** को एकरूप करके चार सूखी साफ व खाली शीशियों में बराबर भागों में बांटकर पैक पर 4 नमूने तैयार कर उस पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1910** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1910** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राज कुमार एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1170/Act/2023/1170 Dated 17-08-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1910 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राजकुमार पुत्र श्री रामआसरे अग्रवाल, मै. राजू चिकन सेन्टर, उद्योग मार्केट,नई धानमंडी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी छोटी सी दुकान पर गुजर बसर करने का कार्य करता है। अप्रार्थी की दुकान पर ऐसा कोई पदार्थ जो बनाकर बेचा गया हो, नहीं मिला। अप्रार्थी किसी अन्य दुकान से सामग्री लाकर अपना गुजारा कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर खुद बनाकर कोई सामग्री बेचान नहीं करता है। आवेदक द्वारा अपने ही मर्जी से रिपोर्ट तैयार की गई है। अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्राप फरमाई जाकर पत्रावली दफतर दाखिल किय जाने का आदेश प्रदान करे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)** का सैम्पल **K-1910** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./1170/Act/2023/1170 Dated 17-08-2023 द्वारा **Substandard** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी छोटी सी दुकान पर गुजर बसर करने का कार्य करता है। अप्रार्थी की दुकान पर ऐसा कोई पदार्थ जो बनाकर बेचा गया हो, नहीं मिला। अप्रार्थी किसी अन्य दुकान से सामग्री लाकर अपना गुजारा कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर खुद बनाकर कोई सामग्री बेचान नहीं करता है। आवेदक द्वारा अपने ही मर्जी से रिपोर्ट तैयार की गई है। अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्राप फरमाई जाकर पत्रावली दफतर दाखिल किय जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Gravy(Prepared in refined Soyabean Oil)" bearing Code No and Sr. No. K-1910, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extracted oil does not conform to the Standard of Soyabean oil as prescribed in Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री राजकुमार पुत्र श्री रामआसरे को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री राजकुमार पुत्र श्री रामआसरे** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला **मजिस्ट्रेट(प्रशा0)**
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर